न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 03/2023 जीसीएमएस : 2023/24

1.मनप्रीत सिहं पुत्र श्री बरियाम सिहं जाति कश्मीरी ब्राहम्णसिख साकिन 11एन पी तहसील रायसिंहनगर हाल 3एस टी आर तहसील घड़साना जिला श्रीगगांनगर।

2.सन्तोख सिहं पुत्र श्री निर्मल सिहं जाति कश्मीरी ब्राहम्णसिख साकिन वार्ड नं. 11 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर।

3.सर्वजीतसिहं पुत्र श्री वरियाम सिहं जाति कश्मीरी ब्राहम्णसिख साकिन 11एन पी तहसील रायसिंहनगर हाल 3एस टी आर तहसील घड़साना जिला श्रीगगांनगर।

–:प्रार्थीगण

गुरजोतसिंह

बनाम

1. गुरतेज सिहं पुत्र श्री सुखपाल सिहं जाति जटसिख निवासी 11 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
2. जसपाल सिहं पुत्र श्री रूप सिहं जाति जटसिख निवासी 11 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
3. रूपिंद कौर पत्नि श्री सुखपाल सिहं जाति जटसिख निवासी 11 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
4. हरबंशकौर पत्नि श्री रूप सिहं जाति जटसिख निवासी 11 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
5. तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–06.01.2023

उपस्थित: 1.श्री महेन्द्र सिहं प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2. श्री गुरबक्स सिहं अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

––निर्णय–– दिनांक 05.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 11 एन पी खाता सं. 78 में पं.नं. 179/311 मु.न. 24 के कि.नं. 1/0.228, 2 सालम, 10–11 प्रत्येक में 0.228 , 12 सालम, 20–21 प्रत्येक में 0.228 , 22 सालम कु ल 1.899 है0 नहरी में पहुँचने के इसी चक 11 एन पी के खाता नं. 72 प.न. 180/311 मु.न. 25 के कि.न. 3/2 में 0.127, 4 ता 9 सालम, 10–11 प्रत्येक में 0.228 है. ,12 ता 15 कुल 3.113 है. नहरी भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी है। जिसमें से कि.न. 5 के उत्तरी –पूर्वी ईशान कॉन में 16/1–1/2 फुट लम्बा व 16/1–1/2 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे , वर्तमान में प्रार्थीगण इसी रास्ता से खाला पर पुलिया बनी हुई है, जिस पर से अपने खेत में काश्त हेतु आते–जाते है, रास्ता वर्तमान में चालू हालम में है। पुलिया बनी हुई है, क्यों कि यही रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुविधाजक व सरल है, इस रास्ता से चलकर मात्र 16/1–1/2फुट की दुरी पर प्रार्थीगण ... इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के नजदीक है, उक्त ... में से रास्ता चाहा गया है, उसके खातेदार अप्रार्थीगण है।
2. अत: चक 11 एन पी के खाता नं. 72 के प.न. 180/311 ... के उत्तरी –पूर्वी ईशान कॉन में 16/1–1/2 फुट ... /2 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। वर्तमान में प्रार्थीगण इसी रास्ता से खाला पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पुलिया बनी हुई है। जिस पर से अपने खेत में काश्त हेतु आते–जाते है, रास्ता वर्तमान में चालू हालत में है। रास्ता में आने वाली भूमि बदले में प्रार्थीगण मुआवजा के रूप में अप्रार्थीगण को वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार कीमत अदा करने के लिए सहमत है। जिस रास्ता की प्रार्थीगण को पूर्णतः आवश्यकता है। इस रास्ता को स्वीकृत फरमाया जावे। रास्ता की राशि जमा करवा देगें।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं 1 ता 4 की तरफ से श्री गुरबक्स सिहं अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 25.09.2024 को अप्रार्थीगण ने इकबाली जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि वाके चक 11एन पी के प.न. 180/311 के कि.न. 5 के उत्तरी –पूर्वी ईशान कॉन में 16/1–1/2 फुट लम्बा व 16/1–1/2 फुट चोडा रास्ता यानि 0.0025है. भूमि जो उत्तर दिशा की ओर आबादी भूमि की सड़क से चिपता हुआ ओर पूर्वी दिशा में प्रार्थीगण के मु.न. 24 के कि.न. 1 से चिपता हुआ है। स्वीकृत किया जाता है तो हमे कोई एतराज नहीं है। उक्त रास्ता मन्जुर किये जाने बाबत हम सभी अप्रार्थीगण पूर्णतः सहमत है।

4. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक रीडर/2024/112 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा मौका की रिर्पोट मंगवाई गई । लेकिन अप्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता सहमति हेतु इकबाली जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। रास्ते में आई भूमि के बदले में मुआवजा राशि प्रार्थीगण से हमने प्राप्त कर ली है। रास्ता स्वीकृत किया जावे तो हमे कोई एतराज नहीं है। अपने इकबाली जबाव प्रार्थना –पत्र में अंकित किया है। प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुद्वा रास्ता से निकटतम दूरी पर है। मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु अन्य कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नहीं है।

5. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थीगण राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकते है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थीगण से मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है। ऐसे में प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की सहमति एवं इकबाली जबाव प्रार्थना–पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के लिए नहीं है बल्कि प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक [illegible] नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 11 एन पी के खाता नं. 72 के प.न. 180/311 मु.न. 25 के कि.न. 5 के उत्तरी–पूर्वी ईशान कॉन में 16/–1/2 फुट लम्बा व 16/–1/2 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत फरमाया जाकर **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** पूर्वी दिशा में प्रार्थीगण के मुरब्बा नं. 24 के कि.नं. 1 से चिपता हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner